

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री पन्नालाल
किस्म मुकदमा - 128 भूरा.अधि.

विपक्षी :- श्री प्रभुलाल
पत्रावली संख्या : 76/21

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं |
|---------|---|--|
| | <p>दिनांक 24.11.2021</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021 कैम्प बडगांव में पेश हुई। प्रार्थी व विपक्षी सं. 1, 3, 5 स्वयं उपस्थित। शेष विपक्षी अनुपस्थित रहे हैं। विपक्षी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर उसकी भूमि का भी सीमांकन कर पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस सुनी।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। विपक्षी सं. 1, 3, 5 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए प्रतिवादी सं. 1 अपनी भूमि का भी सीमांकन कराना चाहते हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।</p> <p style="text-align: center;">-: आदेश :-</p> <p>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव की आराजी नम्बर 2577/191 एवं आराजी नम्बर 2601/2504 के चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/- पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में दिनांक 03.12.2021 को पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेगें।</p> | |

निर्णय सुनाया गया।